प्रेस नोट दिनाँक-26.09.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री भागीरथी पांडे तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामबाबू रैदास पुत्र भोला रैदास निवासी भागनपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 28 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्मी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. चौकी परिक्रमा मार्ग
1. आरक्षी शिवलाल
2. आरक्षी शिव गणेश
3. आरक्षी श्यामू

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपहृतों एवं गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री अजय जायसवाल तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 86/21 धारा 366 ipc व धारा 3(2)5 क sc st act से सम्बंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरादमगी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री अजय जायसवाल
2. मारक्षी मयंक तिवारी
3. आरक्षी कमलेश
4. महिला आरक्षी सीमा देवी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव तथा उनकी टीम द्वारा एस0टी0 नं0 112/2010 धारा 323/427/504/506 भादवि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त ओमदत्त पुत्र सुन्दरलाल निवासी बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी शेखर

(4). दिनाँक-24.09.2021 से 30.09.2021 तक मनाए जा रहे द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के क्रम में आज दिनाँक-26.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव द्वारा ट्राफिक चौराहा कर्वी में बुलट गाड़ी में मोडीफाई साइलेंसर, बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, हेडफोन लगाकर वाहन चलाने वाले एवं, प्रेशर हॉर्न ओवर स्पीड चलाने वाले वाहनों की चेकिंग की गयी। यातायात प्रभारी द्वारा बुलट गाड़ियो को चेक कर गाड़ियों में लगे मोडीफाई साइलेंसर को निकलवाकर 10 बुलट गाड़ियों का ई-चालान किया गया। यातायात प्रभारी द्वारा बुलट गाडियों के चालकों से मानक के अनुसार साइलेंसर लगाने हेतु बताया गया। वाहन चेकिंग के दौरान यातायात प्रभारी द्वारा चालकों को यातायात नियमों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी एवं पालन करने

हेतु बताया गया। यातायात नियमों का पालन न करने वाले 70 वाहनों का 68000/- रूपये पेण्डिंग ई-चालान किया गया।

(5). दिनाँक-24.09.2021 से 30.09.2021 तक मनाए जा रहे द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के क्रम में आज दिनाँक-26.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल निर्देशन में जनपद के समस्त थाना/चौकी क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर 14.00 बजे से लेकर 17:00 बजे तक मोबाइल फोन का प्रयोग, ड्रकन ड्राइविंग एवं बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, 03 सवारी की चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया गया। सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी महोदय के नेतृत्व में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा प्रमुख स्थानों में बैरियर लगाकर वाहन चेकिंग की गयी। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट/03 सवारी, ओवर स्पीड, काली फिल्म, मोबाइल फोन का प्रयोग करने एवं यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का ई-चालान किया गया। चेकिंग के दौरान वाहन चालकों से हेलमेट/सीट लगाने एवं यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

(6). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल, विद्यालय एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-3" अभियान के तहत दिनांक 26.09.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। जिसमें महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वो से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओ को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा के बारे में जानकारीयाँ दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनो से सार्वजनिक स्थलो यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।